For immediate release

भारत में पहली बार, FSSAI ने बासमती चावल के लिए व्यापक नियामक मानकों को अधिसूचित किया; 1 अगस्त, 2023 से लागू होगा

बासमती चावल की प्राकृतिक सुगंध विशेषता बनी रहेगी और यह कृत्रिम रंग, पॉलिशिंग एजेंटों और कृत्रिम सुगंधों से मुक्त होगा

मानकों का उद्देश्य बासमती चावल के व्यापार में उचित व्यवहार स्थापित करना और घरेलू और वैश्विक स्तर पर उपभोक्ता हितों की रक्षा करना है

प्रेस विज्ञप्ति

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2023: भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने भारतीय राजपत्र में अधिसूचित खाद्य सुरक्षा और मानक) खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक (प्रथम संशोधन विनियम 2023के द्वारा बासमती चावल) भूरा बासमती चावल, मिल का बासमती चावल, उसना भूरा बासमती चावल और मिल का उसना बासमती चावल सहित (के लिए पहचान मानकों को निर्दिष्ट किया है।

इन मानकों के अनुसार बासमती चावल में प्राकृतिक सुगंध की विशेषता होनी चाहिए और कृत्रिम रंग, पॉलिशिंग एजेंटों और कृत्रिम सुगंधों से मुक्त होना चाहिए। ये मानक बासमती चावल के लिए विभिन्न पहचान और गुणवत्ता मापदंडों को भी निर्दिष्ट करते हैं - जैसे कि अनाज का औसत आकार और पकाने के बाद उनका बढ़ाव अनुपात, नमी की अधिकतम सीमा, एमाइलोज की मात्रा, यूरिक एसिड, दोषपूर्ण/क्षतिग्रस्त अनाज और अन्य गैर-बासमती चावल आदि की आकस्मिक उपस्थिति।

इन मानकों का उद्देश्य बासमती चावल के व्यापार में उचित प्रथाओं को स्थापित करना और घरेलू और वैश्विक स्तर पर उपभोक्ता हितों की रक्षा करना है। ये मानक 1 अगस्त, 2023 से लागू होंगे।

बासमती चावल भारतीय उपमहाद्वीप के हिमालय की तलहटी में उगाई जाने वाली चावल की एक प्रीमियम किस्म है। यह अपने लंबे दाने के आकार, कोमल बनावट और अद्वितीय अंतर्निहित सुगंध और स्वाद के लिए जाना जाता है। विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों की कृषि-जलवायु परिस्थितियाँ जहाँ बासमती चावल उगाए जाते हैं; साथ ही चावल की कटाई, प्रसंस्करण और उम्र बढ़ने की विधि बासमती चावल की

विशिष्टता में योगदान करती है। अपनी अनूठी गुणवत्ता विशेषताओं के कारण, बासमती चावल की घरेलू और विश्व स्तर पर व्यापक रूप से खपत की जाने वाली किस्म है और इसकी वैश्विक आपूर्ति में भारत का योगदान दो तिहाई हिस्से का है।

प्रीमियम गुणवत्ता वाला चावल होने और गैर-बासमती किस्मों की तुलना में अधिक कीमत प्राप्त करने के कारण, बासमती चावल आर्थिक लाभ के लिए विभिन्न प्रकार की मिलावट का शिकार होता है, जिसमें अन्य के अलावा, चावल की अन्य गैर-बासमती किस्मों का अघोषित सम्मिश्रण शामिल हो सकता है। इसलिए घरेलू और निर्यात बाजारों में मानकीकृत वास्तविक बासमती चावल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, खाद्य प्राधिकरण ने बासमती चावल के लिए नियामक मानकों को अधिसूचित किया है जो संबंधित सरकारी विभागों/एजेंसियों और अन्य हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के माध्यम से तैयार किए गए हैं।